सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार शर्मा,
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 38/2017

श्रीया पुत्र सोनीराम जाति मीना निवासी खेडा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा ...प्रार्थी

बनाम

1. श्री संपतराम मीना तहसीलदार तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
2. श्रीमति छोटा देवी पत्नि श्योदान
3. मोटा पत्नि हरसहाय
4. मूलचन्द पुत्र श्रीचन्द
5. नारायण पुत्र श्रीचन्द
6. छोट्या पुत्र श्रीचन्द
7. मोगाराम पुत्र श्रीचन्द
8. लोहडीराम पुत्र श्रीचन्द
9. गंगासहाय पुत्र सोनीराम
10. रामदेव पुत्र श्रीचन्द
11. नानगा पुत्र सोनीराम
12. बालूराम पुत्र श्रीचन्द
13. सुखपाल पुत्र जयनारायण
14. रामजीलाल पुत्र कन्हैयालाल
15. बाबूलाल पुत्र मंगलाराम
16. डलियाराम पुत्र मंगलाराम
17. कालूराम पुत्र मंगलाराम
18. हरजीराम पुत्र मंगलाराम
19. रामलाल पुत्र मंगलाराम
20. गोविन्द बेवा मंगलाराम समस्त जाति मीना निवासी खेडा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा ..अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र स्थानांतरण

उपस्थितिः 1. श्री सीताराम दायमा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री योगेश जाखड अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 की ओर से
3. श्री मोती लाल शर्मा की ओर से ब्रिफ होल्डर श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी 09 व 10 की ओर से
4. श्री मानसिंह गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी 05 की ओर से

निर्णय

दि0 13.11.2017

संक्षिप्त विवरण स्थानांतरण प्रा0 पत्र इस प्रकार है कि न्यायालय उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान के निर्णय दिनांक 29.05.2017 के द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा के यहां नामान्तकरण संख्या 22 दिनांक 13.06.1990 ग्राम

खेडा के संबंध में कार्यवाहीं विचाराधीन है । प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की आशा न होने से यह स्थानांतरण प्रा0 पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया । विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि नामान्तरकरण संख्या 22 ग्राम खेडा ग्रा0 पं0 थूमडी के विरूद्ध विचाराधीन थी जिसका निर्णय 29.05.2017 को फरमाया गया है व नामान्तरकरण संख्या 22 को निरस्त करते हुए पत्रावली पुनः नामान्तरकरण हेतु तहसीलदार नांगल राजावतान को भेजी गई है। प्रार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण के आदेश दिनांक 29.05.2017 के विरुद्ध एक अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के यहां पेश कर रखी है जो विचाराधीन है इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी ने उप जिला कलेक्टर नांगलराजावतान के आदेश को सक्षम न्यायालय मे चुनौती दे रखी है। ऐसी सूरत में उक्त रिमाण्ड पत्रावली पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नही है। इसके बावजूद भी अधिनस्थ तहसीलदार ने प्रार्थी व अन्य को दिनांक 16.6.2017 के लिए नोटिस जारी किये लेकिन उक्त दिनांक को राजस्व कर्मचारियों की हडताल थी इसलिए प्रार्थी की उपस्थित दर्ज नही की और ना ही प्रार्थी को आगे की कोई तारीख दी गई ना ही प्रार्थी की कोई आपत्ति ही ली और हडताल टूटने के बाद आने की कही और जिस पर प्रार्थी हडताल खत्म होने पर पुनः तहसीलदार के न्यायालय में गया तो प्रार्थी की कोई उपस्थित दर्ज नही की और ना ही प्रार्थी की आपत्ति प्रार्थना पत्र लिया तथा ऐलानिया रूप से कहा कि मैं दिनांक 10.07.2017 को तुम्हारे हक में खुला नामान्तरकरण निरस्त करूंगा इस पर प्रार्थी ने कहा कि इसमें नाथू व कवरीलाल प्रार्थी का स्वर्गवास हो चुका है उनके बिगर कायम मुकाम बनाये किसी प्रकार का कोई निर्णय नही कर सकते हो। प्रार्थी ने मूल नमान्तरकरण नकल देने के लिए कहा तो उन्होने कहा कि मूल नामान्तरकरण मेरे पास नही आया है इसके बावजूद भी मूल नामान्तरकरण बगैर ही प्रकरण का विरोधी पक्षकारों से मिलकर के निर्णय करने पर आमादा हो रहे है तथा प्रार्थी के न तो आपत्ति प्रार्थना पत्र को रिकार्ड पर ले रहे है बल्कि साजकर के मनमाने तरीके से शीघ्र से शीघ्र निर्णय करने पर आमादा हो रहे है तथा छोटी देवी वगैरहा भी गांव में सरेआम कहती है कि हमारी तहसीलदार से बात हो गई है प्रकरण का निस्तारण हमारे पक्ष में ही होगा तथा प्रार्थी ने छोटा देवी आदि को तहसीलदार के आवास व चैम्बर में मिलते जुलते देखा है इससे प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि तहसीलदार नांगल राजावतान अवैधानिक तरीके से प्रार्थी के खिलाफ प्रकरण का निस्तारण करने पर आमादा है। इसलिए न्यायहित में व प्रकरण के सही निस्तारण हेतु रिमांड पत्रावली अन्य तहसीलदार के यहां सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाना न्याय संगत है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को तहसीलदार नांगल राजावतान से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नही है व शीघ्रता–शीघ्र अपील विचाराधीन होते हुए प्रकरण का निस्तारण करने पर तुले हुए है। न्यायहित मे रिमाण्ड पत्रावली को निष्पक्ष सुनवाई हेतु अन्य तहसीलदार के यहां सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सकें। इसलिए तमाम परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए स्थानांतरण प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नांगल राजावतान के यहां विचाराधीन प्रकरण को शीघ्र अन्यत्र तहसीलदार को स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस में दलील है कि तहसीलदार नांगलराजावतान के यहां नामान्तरकरण की प्रकिया विचाराधीन है। जिसमें तहसीलदार नांगलराजावतान के द्वारा विधि प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। प्रार्थीगण बेवजह हैरान व परेशान करने की गरज व प्रकरण को लम्बा चलाने की गरज से स्थानान्तरण प्रा0 पत्र श्रीमान् के समक्ष पेश किया गया है। माननीय न्यायालय उप जिला

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कलक्टर नांगल राजावतान के द्वारा पारित निर्णय की पालना में तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा नियमानुसार साक्ष्य एवं सुनवाई की जाकर ही विधि अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। किंतु फिर भी माननीय न्यायालय न्याय हित में प्रकरण को अन्यत्र स्थानांतरण के आदेश प्रदान करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अप्रार्थी 9 व 10 की ओर से बिफ़ होल्डर श्री राजकुमार शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं तहसीलदार नांगल राजावतान की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य भूमि विवाद उपजिला कलक्टर नांगल राजावतान में विचाराधीन उनवानी प्रकरण श्रीया बनाम सम्पतराम अपील का निर्णय दिनांक 29.05.2017 को किया जाकर तहसीलदार नांगल राजावतान को रिमाण्ड किया गया। जिसमें विधिक वारिसों की जांच की जा रही है। चूंकि तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विधिक वारिसों की जांच में मामला विचाराधीन है, जिसमें माननीय न्यायालय उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान के निर्णय की पालना किया जाना ही प्रतिपादित होता है। प्रार्थीगण द्वारा अपने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अनेकों बिन्दु उठाये गये है, जो इस प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित न होकर विचाराधीन वाद की मेरिट से सम्बन्धित है। प्रार्थीगण द्वारा अपने कथन के पक्ष में ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य/ सबूत पेश नही किये गये जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी सबूत के कोई भी आरोप लगया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रा0 पत्र के संबंध में कोई ठोस सबूत पेश नही किये है। हॉलाकि अप्रार्थिया छोटा देवी की ओर से माननीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर के निर्णय दिनांक 30.10.2017 उनवानी लालाराम बनाम छोटा पेश की गई है। जिसके अंतर्गत भी उपखण्ड अधिकारी, नॉगल राजावतान का आदेश दिनांक 29.05.2017 यथावत रखा गया है। फिर भी न्याय के नैसर्गिग सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जब प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध अविश्वास लेकर ही प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया गया है व कतिपय अप्रार्थी द्वारा भी प्रकरण स्थानांतरण करने में अपनी सहमति प्रदान की गई हैं, तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का स्थानान्तरण प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नॉगल राजावतान से विचाराधीन प्रकरण को तहसीलदार, दौसा के यहॉ स्थानांतरित किया जाता है। पक्षकारान दिनांक 04.12.2017 को तहसीलदार, दौसा के यहॉ उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार, नॉगल राजावतान व तहसीलदार दौसा को निर्णय प्रति भिजवाई जावें । बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 13 नवम्बर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा